

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक...../जिला विधि,

[III-01/2007-13]

दिनांक08.2013

फोन नं. :- 06456-222530, 222535

फैक्स नं. :- 06456-222626, 225480

ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :- आदित्य कुमार दास, मा.प्र.से.
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,
सिविल सर्जन,
किशनगंज/पूर्णियाँ।

विषय :- जी. आर. वाद संख्या 739/2003, पोठिया थाना कांड सं. 82/2003, धारा 420/467/468/
471/409 भा.द.वि. में साक्ष्य के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज का ज्ञापांक 307, दिनांक 23.07.2013, जो
शीघ्र आपको भी सम्बोधित है, द्वारा उक्त वाद में संबंधित न्यायालय में साक्ष्य हेतु निम्नानुसार सूचना प्राप्त है :-

वाद संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की तिथि/समय	संबंधित न्यायालय
जी.आर. वाद संख्या 739/2003, पोठिया थाना कांड सं. 82/2003, धारा 420/ 467/468/471/ 409 भा.द.वि.	1. डॉ. रफत हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी	24.08.2013/ पूर्वा. 10.30 बजे	श्री एस. के. मांडी, विज्ञ न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, किशनगंज
	2. जय नारायण गोस्वामी, PHC पोठिया		
	3. रमण कुमार श्रीवारतव, प्रधान सहायक, सिविल सर्जन कार्यालय, किशनगंज		
	4. शिवनाथ रजक, प्रधान सहायक, सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णियाँ		

अतः अनुरोध है कि संबंधित साक्षी को निर्धारित तिथि को संबंधित न्यायालय में साक्ष्य देने
हेतु निदेशित करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह./-

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक425...../जि.विधि, किशनगंज, दिनांक07.....08.2013

प्रतिलिपि :- जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को इंगित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त
वाद के साक्षी अ.नि. विनोद कुमार, अनुसंधानक को निर्धारित तिथि को संबंधित न्यायालय में
साक्ष्य देने हेतु निदेशित करने का कष्ट किया जाय।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।